



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1941 (श0)

(सं0 पटना 1337) पटना, सोमवार, 16 दिसम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2019

सं0 06/विधायी-03-01/2019-9248/परि0—मोटरवाहन अधिनियम-1988 की धारा-211 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रकाशन की तिथि से सात दिनों तक परिवहन विभागीय वेबसाईट- transport.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा :-

संशोधन प्रारूप

मोटरवाहन अधिनियम-1988(अधिनियम संख्या 59/88) की धारा-212(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संलग्न सूची के अनुसार निम्नांकित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-06/विधायी-03-01/2019, परि0- दिनांक-..... द्वारा किया जा चुका है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- यह नियमावली बिहार मोटरवाहन संशोधन नियमावली, 2019 कही जायेगी।
- यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 ख के उपनियम (2),(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

163 ख (2)- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैधता:- "किसी भी मोटरवाहन के प्रथम निबंधन से एक वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाली अधिकृत एजेंसी द्वारा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए ही 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र' निर्गत किया जायेगा,

परंतु BS IV या BS VI मानक की गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए वैध 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र' निर्गत किया जा सकेगा।"

163 ख (3)- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र का स्वरूप एवं विधान:- "अधिकृत एजेंसी द्वारा मात्र ऑनलाईन 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र' निर्गत किया जा सकेगा जो 14 साइज में निर्गत किया जायेगा।"

3. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 घ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

163 घ- प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना:- "कोई भी 'व्यक्ति', "अधिकृत मोटरवाहन कंपनियों के सर्विस सेन्टर," "मोटरवाहन ईंधन आपूर्ति केन्द्र (पेट्रोल पंप, डीजल पंप इत्यादि सभी Fuel Stations)" एवं कंपनी अधिनियम, 2013, के अंतर्गत निबंधित कोई 'कंपनी' केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-115 के उप नियम (2), (3), (4), एवं (5) के अधीन मोटरवाहनों के गैस और धुएं के उत्सर्जन स्तर की जांच हेतु तथा 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र' के निर्गमन हेतु प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (राज्य परिवहन आयुक्त) से ऑनलाईन अनुरोध कर सकता है।"

4. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 ड. के उपनियम (1), 2(i),(ii), 3(i),(iii) एवं 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

163 ड.- अनुज्ञप्ति का निर्गमन एवं नवीकरण:-

(1) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं नवीकरण हेतु आवेदन यथास्थिति प्रपत्र एल0टी0एस0ए0 अथवा एल0टी0एस0आर0 में 'ऑनलाईन' अनुज्ञापन प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

2 (i) अनुज्ञप्ति के आवेदन के साथ नियमावली के नियम-163 छ उप नियम (4) के अनुसार फीस 'ऑनलाईन' जमा की जायेगी।

2 (ii) अनुज्ञप्ति नवीकरण के आवेदन के साथ नियम-163 छ उपनियम (4) के अनुसार फीस 'ऑनलाईन' जमा की जायेगी।

3 (i) आवेदक मोटरवाहनों के रख-रखाव एवं उसकी सर्विसिंग आदि का व्यवसाय करता हो। आवेदक स्वयं या उसका स्टाफ मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल अथवा ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी हो अन्यथा इन्टरमीडियट/12वीं कक्षा (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण हो, या मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण हो।

3 (iii) जहां वाहनों की जांच किया जाना प्रस्तावित हो, वह परिसर आवेदक के स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा लीज पर लिया गया अथवा उसके नाम से किराये पर लिया गया और उस परिसर में जांच कार्य के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध हों।

आवेदक "चलन्त प्रदूषण जांच केन्द्र" भी संचालित कर सकता है, परंतु प्रदूषण जांच केन्द्र के लिए अन्य मानक पूरा करने के अतिरिक्त जिस वाहन पर 'चलन्त प्रदूषण जांच केन्द्र' स्थापित हो उक्त वाहन को राज्य के अंतर्गत व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह मोटरवाहन अधिनियम, 1988 केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के अध्यक्षीन अपेक्षित शर्तें पूर्ण करता हो तथा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार अपेक्षित करों का भुगतान कर रहा हो। 'चलन्त प्रदूषण जांच केन्द्र' की अनुज्ञप्ति किसी जिला क्षेत्र के लिए स्वीकृत की जा सकेगी।

4. "अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम-163 ड. (i) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक ने इस नियम के उप-नियम (2) एवं (3) की अध्यापेक्षाओं को पूरा कर दिया है, अनुज्ञप्ति दे अथवा नवीकृत कर सकेगा।

यदि आवेदक उपरोक्त शर्तें पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदक की अन्य अहर्ता से संतुष्ट होकर अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु "औपबंधिक सहमति" (Provisional Consent) प्रदान की जा सकती है। इसकी सूचना आवेदक को प्राप्त होने की तिथि से एक माह (30 दिन) अथवा अधिकतम तीन माह (90 दिन) के अंतर्गत अपेक्षित उपकरण स्मोकमीटर या गैस एनलाईजर (या अन्य कोई अपेक्षित उपकरण जो आवश्यक हो) अपने व्यापार परिसर में लगाया जा सकेगा। तदोपरांत इसका सत्यापन कराकर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

5. बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163 छ के उपनियम (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

163 छ (4)—“इस नियम के अधीन परिवहन आयुक्त को भुगतये फीस की दर निम्नलिखित होगी :-

क	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये फीस	5000.00
ख	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिये फीस	5000.00
ग	मोटर वाहनों की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र की द्वितीयक अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये फीस	500.00
घ	नियम 163 छ के उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये फीस।	200.00
च	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के अनुज्ञप्ति निर्गमन/नवीकरण करने हेतु आवेदन फीस	1000.00
छ	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु आवेदन फीस	1000.00
ज	मोटर वाहनों की जांच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्तन हेतु निरीक्षण फीस	1000.00

“इस मद की सभी राशि, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन समुचित जमा शीर्ष में ऑनलाईन जमा की जा सकती है।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 16th December 2019

No. 06/Vidhayi-03-01/2019-9248—In exercise of powers conferred by Section-211 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No 59/88), Governor of Bihar desires to make amendment in the Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 by the following draft which is hereby published for the information of the persons to be effected by it as required by section-212 of the Act and it is hereby given notice that the said draft will be available on the website of Transport Department - **transport.bih.nic.in** for seven days for inviting objection and suggestions related to the said draft.

Draft of Notification

In exercise of powers vested under Section - 212 of Motor Vehicle Act, 1988 (Act No 59/88), Governor of Bihar is pleased to amend the following provisions of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 (as amended from time to time) the Prior Publication of which required under section 212 of the Act has been done through Notification No- 06/Vidhayi-03-01/2019,..... dated-.....

1. Short Name, extension & effect:-

- (i) These Rules shall be called as Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rules, 2019.
- (ii) It will be effective with immediate effect.
- (iii) It will extend to the whole State of Bihar.

2. Rule -163 b, sub rule (2) & (3) of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 will be substituted as follows:-

163 b(2): Validity of Pollution under Control (PUC) Certificate: Any Authorized Agency issuing PUC Certificate for Motor Vehicles, being more than one year old from its first Registration, can issue PUC Certificates valid for maximum of six months,

Provided PUC Certificate for BS-IV or BS-VI Vehicles can be issued with validity of twelve (12) months.

163 b (3): Size & Procedures of PUC Certificates; PUC Certificates can be issued online only, by Authorized Agency /Agencies, which must be in A 4 size.

3. Rule-163 d of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 will be substituted as follows:-

163 d : Establishment of PUC Centers ; “ Any person “ , “ Service Centers of Authorized Motor Vehicle Companies” , “ Motor Vehicle Fuelling Centers (Petrol Pump , Diesel Pump , etc) & “ Any Registered Company registered under ‘Companies Act , 2013 “ can request online , for establishment of PUC Centre under Rule - 115 (sub rule 2,3,4 & 5) with a purpose of testing emission of gases & smokes of Motor Vehicles followed by issuing PUC Certificates.

4. Rule 163 e, sub rule 1, 2(i), 2(ii), 3 (i), 3(iii) & 4 will be substituted as follows:-

163 e : Issuance of License & its Renewal.— (1) Application for Sanction & Renewal will be submitted online to the Licensing Authority, respectively in Form LTSA or LTSR.

- 2(i)** With Application for License, requisite fee will be deposited online, prescribed under Rule 163 g, sub rule (4).
- 2(ii)** With Application for renewal of License, requisite fee will be deposited online, prescribed under Rule 163 g, sub rule (4) .
- 3(i)** Applicant must be doing business for maintenance & servicing of Motor Vehicles. Applicant himself or their staff should be a Degree holder/ Diploma holder in Mechanical/Electrical or Automobile Engineering/ 12thPass (with science) or having I T I pass in any trade related with Motor vehicle.
- 3(iii)** The place, at which vehicles are proposed to be tested, must be in ownership of Applicant or under lease/rent, & having sufficient infrastructure for testing within the premises.

The applicant can operate “MOBILE PUC Centre “, but in addition to compliance of other parameters for that vehicle upon which “MOBILE PUC Centre “, has been set up, it should be registered as a commercial vehicle within State of Bihar . That Motor Vehicle must be complying provisions of MV Act, 1988 (as amended in 2019) CMV Rules, 1989, Bihar Motor Vehicle Rules, 1992 & must be paying Motor Vehicle Taxes as prescribed under Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994. License for “MOBILE PUC Centre “ can be granted for specific district.

- 4.** Licensing Authority after receiving applications under Rule 163 e (i) and being satisfied that provisions of sub rule (2) & (3) of this rule are complied, can grant License or its renewal.

If applicants are not capable to fulfill above mentioned criteria, but Licensing Authority is satisfied with other eligibilities, Provisional Approval can be granted. Within one month (30 days) to three months

(90 days) from receiving such Provisional Approval by applicant, required equipment smoke meter or gas analyzer can be set up within premises for testing. Afterwards, getting it verified, Licensing Authority can grant & issue Licenses.

5. Rule 163 f, sub rule (4) will be substituted as follows:-

163 f (4) : Fee payable to State Transport Commissioner under this rule will be as follows :-

(a)	Fee for issuing License to PUC Centre for testing vehicles	5000
(b)	Fee for Renewal of License of PUC Centre for testing vehicles	5000
(c)	Fee for issuing Duplicate License of PUC Centre for testing vehicles	500
(d)	Fee for Appeal against order of Licensing Authority under Rule 163 f	200
(e)	Application Fee for Issuance /Renewal of PUC Centre License for testing vehicles	1000
(f)	Application Fee for change of site of PUC Centre for testing vehicles	1000
(g)	Inspection Fee for Site Change of PUC Centre for testing Vehicles	1000

Total amount under this head can be credited online to prescribed 'Receipt Head' under the control of State Transport Commissioner.

By the order of Governor of Bihar
SANJAY KUMAR AGRAWAL,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1337-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>